

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p><u>10-4-18</u></p>	<p>वकील चर्ही उपर वाद स्वीकार किया जाता है। विजय निकाश घुशक ने गिल्ला उम्मा। शाफिल पत्राक्षी ही/पत्राक्षी के ललशुमार होकर प्रम्बर ने काम ही तथा दफ्तर दाखिल है।</p> <p style="text-align: right;"> <u>31</u> 10/4/18 उपजुड नपिकारी निराल, लल दोड </p>	

वकील
 उम्मा
 शीट
 गा. हो
 ति. नं.
 ट विमा
 तावे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टॉक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-68/2016

निर्णय दिनांक:-10.04.2018

उनवान

1. गंगाविशन पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
2. प्रतापा पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
3. हरिनारायण पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
4. श्रवण पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
5. कमल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
6. प्रमू पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
7. ग्यारसीलाल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
8. बाबूलाल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
9. ममता पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
10. राजा पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
11. गंगा पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ

-वादीगण

बनाम

1. लल्लू पुत्र माध्या जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
2. सीताराम पुत्र माध्या जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
3. मुकेश पुत्र लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
4. शंकर पुत्र लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
5. रामअवतार पुत्र मोती जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
6. तुलसा पत्नि लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
7. हनुमान पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
8. जयराम पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
9. भैरू पुत्र श्योराज जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
10. सीता पत्नि भैरू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
11. भंवर पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
12. हजारि पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
13. लादू पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
14. मोत्या पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ
15. लट्टी जगदीश जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:- श्री रामबाबू शर्मा वकील वादीगण

3
उपखण्ड अधिकारी
निवाइ, टॉक

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-

यह कि आराजी ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में प्रतिवादीगण बिना किसी वैध अधिकार के वादीगण के खातेदारी भूमि में बाधा मजाहमत करते है। अतः वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को जमीन बोनो जोतने में परेशान न करें। किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें। दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1ता3, 6ता7, 9, 11ता12, 14ता15 की ओर से श्री दिनेश कुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण 4ता5, 8, 10 बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1ता3, 6ता7, 9, 11ता12, 14ता15 व उनके वकील असालतन वकालतन गैर हाजिर रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की ओर से प्रतिवादी सं. 13 का नाम डिलीट करने बाबत् प्रा.पत्र पेश करने पर प्रा.पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये बहस में बताया कि आराजी ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में प्रतिवादीगण बिना किसी वैध अधिकार के वादीगण के खातेदारी भूमि में बाधा मजाहमत करते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को जमीन बोनो जोतने में परेशान न करें। किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें।

बहस एकतरफा सुनने के पश्चात् न्यायालय वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को जमीन बोनो जोतने में परेशान न करें। किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें। पंचा डिक्री जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/04/18
हरिताम कुमारी आदित्य
(आर.प.पत्र.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
(डिकी मुकदमा इब्दाई)

उनवान

1. गंगाविशन पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
2. प्रतापा पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
3. हरिनारायण पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
4. श्रवण पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
5. कमल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
6. प्रभू पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
7. ग्यारसीलाल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
8. बाबूलाल पुत्र विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
9. ममता पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
10. राजा पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
11. गंगा पुत्री विरधीचन्द जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई

—वादीगण

बनाम

1. लल्लू पुत्र माध्या जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
2. सीताराम पुत्र माध्या जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
3. मुकेश पुत्र लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
4. शंकर पुत्र लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
5. रामअवतार पुत्र मोती जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
6. तुलसा पत्नि लल्लू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
7. हनुमान पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
8. जयराम पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
9. भैरू पुत्र श्योराज जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
10. सीता पत्नि भैरू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
11. भंवर पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
12. हजारी पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
13. लादू पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
14. मोत्या पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई
15. लट्टी जगदीश जगदीश जाति मीणा निवासी बफलावता की ढाणी ग्राम चोरपुरा तह. निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या:-68/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताम कुमार आदित्य आर0ए0एस0 व हाजरी श्री रामबाबू शर्मा वकील वादी मिनजानिव मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता

है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 514 रकबा 12-17 बीघा वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को जमीन बोन
जोतने में परेशान न करें। किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-10 माह 04 सन् 2018 को जारी की
गई।

31/04/18
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड निवाई (दिक)
निवाई